राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

कमांक:– पं. 5 (254) निपेवि/नियम/05/पार्ट (एकलपमन्यवी-2) 1184-1244 H दिनांक 17-05-2016

**कोषाधिकारी,**

..................................................

**राजस्थान, जयपुर।**

**विषय :–** पेंशनर की मृत्यु होने पर संबंधित बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के संबंध में।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के परिपत्र कमांक पं. 5 (254) निपेवि/नियम/05/1920–1963 एच दिनांक 29.11.2010 द्वारा समस्त कोषाधिकारियों एंव बैकों को भेजकर यह लिखा गया था कि पेंशनर की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने में विलम्ब होता है। ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने की राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट–vi पब्लिक सेक्टर बैकों द्वारा राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनरों की पेंशन संदाय के लिए स्कीम, के अनुच्छेद संख्या 15 में प्रावधान हैं। इसी कम में परिपत्र के द्वारा निर्देशित किया गया था कि पेंशनर की मृत्यु होने पर बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन स्वीकृति के प्रकरण जिसमें पेंशन भुगतान आदेश के साथ वर्णात्मक नामावली में पति एवं पत्नी का संयुक्त प्रमाणित फोटो तथा नाम एवं विवरण के तथ्य सत्यापित हैं और पारिवारिक पेंशन की राशि नामजद है, **उन प्रकरणों में पत्नी या पति को, जैसा भी प्रकरण हो, पेंशन संवितरक बैंक अपने स्तर से पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करेंगे।**

उक्त निर्देशों का उद्वेश्य यह था कि यदि पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने हेतु बैक के पास समस्त दस्तावेज एवं सूचनाएं हैं तो अविलम्ब बैंक अपने स्तर से ही पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ कर देगें।

पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों में हो रहे विलम्ब को न्यूनतम स्तर तक लाने के सम्बन्ध में दिनांक 12.05.2016 को निदेशालय में बैंकर्स के साथ एक बैंठक सम्पादित हुई। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कुछ कोषाधिकारियों द्वारा बैंकों को मौखिक/लिखित यह आदेशित किया गया है कि बैंक पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने से पहले कोष कार्यालय से स्वीकृति/सहमति प्राप्त करेगी। इस प्रकार के आदेश विभाग के उक्त परिपत्र की भावना के विपरीत हैं एवं परिपत्र जारी करने के उद्वेश्य को ही समाप्त कर देते हैं। परिणामतः पारिवारिक पेंशन को स्वीकृत करने में अनावश्यक परिहार्य विलम्ब हो रहा है।

**समस्त कोषाधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिए उक्त परिपत्र में उल्लिखित समस्त दस्तावेज एवं सूचनाएं यदि बैंक के पास उपलब्ध हैं तो उन प्रकरणों में संवितरक बैंक अपने स्तर से पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करेगें।** उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात बैंक द्वारा पत्रावली मूल पीपीओ, पेंशनर के भाग सहित संबंधित कोषाधिकारी को भिजवाई जायेगी। कोषाधिकारी द्वारा पत्रावली में बैंक द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि उपरान्त टी.एस. पंजिका एवं डाटा बेस में आवश्यक प्रविष्टि या संशोधन करते हुए पत्रावली संबंधित बैंक को वापस भिजवाई जायेगी। इसके लिए पारिवारिक पेंशनर को कोषालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

अतः समस्त कोषाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा उक्त परिपत्र की पूर्णतः पालना की जा रही है ताकि पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने में हो रहे अनावश्यक विलम्ब को समाप्त किया जा सके।

**संलग्नः–** उपरोक्तानुसार

भवदीय

(के.के.गैडियोक)
निदेशक

C-55

क्रमांकः— पं. 5 (254) निपेवि/नियम/05/पार्ट (एचआरएमएस-2) 1184-1244-H दिनांक 17-05-2016

**प्रतिलिपिः**— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त सम्बन्धित बैंक......................................
3. समस्त अधिकारी, कार्यालय हाजा

निदेशक